न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –6/2016 जिला दौसा

1. मुकेश मीणा पुत्र श्री रामकरण जाति मीणा
2. रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री गंगाबिशन जाति गूर्जर
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कंचन लाल जाति गूर्जर
4. राधेश्याम जांगीड पुत्र श्री रामकरण जाति खाती
5. हंसराज गूर्जर पुत्र श्री रामकरण जाति गूर्जर

निवासीयान ग्रम कालोता, नर्बदेश्वर कॉलोनी सर की कुई , तहसील दौसा, जिला दौसा आम जनता ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील दौसा जिला दौसा ।
2. ग्रम पंचायत जरिये सरपंच ग्रम पंचायत कालोता ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दौसा दिनांक 8.6.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मुकेश शर्मा
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक –25.10.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 8.6.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि नामांतरकरण संख्या 328 ग्रम कालोता, तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 5.18 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 17 रकबा 14.27 हैक्टेयर किस्म चरागाह से खसरा नम्बर 9/1 रकबा 0.25 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 17/1 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म सिवायचक का जिला कलक्टर दौसा के आदेश कमांकः राजस्व/7700 दिनांक 23.2.83 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिसे तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 8.12.2004 को खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर आम जनता नर्बदेश्वर कॉलोनी सर की कुई मौजा ग्रम कालोता जरिये रामसिंह गुर्जर वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.6.2015 द्वारा खारिज किये जाने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने , अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये आबादी का नामांतरकरण खोले जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम कालोता स्थित आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 120 बीघा 15 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि आबादी घोषित करते हुये सैटअपार्ट का आदेश पारित किया गया था । नवीन भू प्रबन्ध के बाद उक्त खसरा नम्बर के आबादी हेतु जारी आदेश सैट अपार्ट वास्ते की भूमि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 9 व 17 के भाग में आती है । खसरा नम्बर 9 व 17 के 9/1 रकबा 0.25 हैक्टेयर एवं 17/1 में से रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल 0.50 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकीन आबादी बाबत प्रश्नगत नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था जिसे तहसीलदार दौसा द्वारा पक्षकारों को नोटिस दिये बिना व उन्हें सुने बिना खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत कालोता द्वारा 30–40 परिवारों को विवादित भूमि में पट्टे दिये गये हैं जो स्थाई रूप से मकान बनाकर रह रहे हैं । उनका कहना था कि तहसीलदार को जिला कलक्टर दौसा के आदेश की पालना में प्रश्नगत नामांतरकरण स्वीकार करना चाहिये था लेकिन उनके द्वारा नामांतरकरण खारिज कर लगभग 33 वर्ष पूर्व से निवास कर रहे परिवारों को बेघर

किया है , लेकिन जिला कलक्टर ने इस बिन्दू पर विचार किये बिना ही अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि राज्य सरकार ने सरकारी सिवाय चक, चरागाह, वन क्षेत्र की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा निवास करने के लिये मकानात बनाकर अतिक्रमण 1985 से पूर्व कर लिया है तो उन्हें भूमि का नियमन करते हुये पट्टा जारी करने बाबत परिपत्र जारी किये हैं । कलक्टर दौसा को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की अधिसूचना संख्या 15 की धारा 92 के तहत उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित करने की शक्तियॅा थी और इसी के तहत तहसीलदार को भूमि आबादी में करने का आदेश दिया था । जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 27.2.83 से यदि तहसीलदार को कोई आपत्ति थी तो उसके विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी अन्यथा जिला कलक्टर के आदेश के तहत आबादी का नामांतरकरण खोलना चाहिये था । जिला कलक्टर ने प्रकरण के विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट्स की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावें तथा आबादी का नामांतरकरण खोलने के आदेश पारित किये जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जिला कलक्टर ने भूमि चरागाह से सिवायचक परिवर्तित करने के आदेश वर्ष 1983 में पारित किये थे लेकिन आवंटन के समय व नामांतरकरण तस्दीक करने के समय वर्तमान परिस्थिति अनुसार उक्त भूमि सिवायचक के लिऐ उपयुक्त नहीं होने के कारण तहसीलार दौसा द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज किया था जो उचित एवं विधिसम्यक है । जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट्स की अपील इस आधार पर खारिज की है कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 23.2.83 के हैं और नामांतरकरण दिनांक 8.12.2004 को तहसीलदार के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया गया जिसको लगभग 32 वर्ष हो गये। ऐसी स्थिति में भूमि की स्थिति बदलने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । जहॅा तक ग्रम पंचायत द्वारा कुछ समूह के व्यक्तियों को पट्टा जारी करने की बात है वह बिना भूमि के नामांतरकरण खोले ही जारी किये गये हैं, जो उचित नहीं है । इस प्रकार ग्रम पंचायत द्वारा जल्दबाजी करके पट्टे जारी करना उचित नहीं है । उपरोक्त स्थिति में अपीलाधीन आदेश व तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज करने के आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 328 पटवारी हल्का द्वारा जिला कलक्टर दौसा के आदेश कमांकः 7700 दिनांक 23.2.1983 की पालना मे दिनांक 20.9.2004 को चरागाह से सिवायचक का भरा गया जिसे तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 8.12.2004 को खारिज करने पर इसके खिलाफ अपील जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.6.2015 द्वारा इस आधार पर खारिज की जाकर नामांतरकरण आदेश दिनांक 8.12.2004 यथावत रखे हैं कि ''जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 23.2.83 के हैं और नामांतरकरण दिनांक 8.12.2004 को तहसीलदार के समक्ष तस्दीक हेतु पेश हुआ जिसको लगभग 32 वर्ष हो गये हैं । ऐसी स्थिति में भूमि की स्थिति बदलने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । जहॅा तक ग्रम पंचायत द्वारा कुछ समूह के व्यक्तियों को पट्टा जारी करने की बात है वह बिना भूमि के नामांतरकरण खोले ही जारी किये गये हैं, जो उचित नहीं है ।''

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.6.2015 उचित एवं विधिसम्यक है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 8.6.2015 यथावत रखे जाते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर